दिनांक 24.11.2012 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – पंजी में संधारित

कार्यवाही

खाद्यान्न की मदवार समीक्षा की गई । समीक्षा के कम में पाया गया कि अक्टूबर 2012 माह के लिए चतरा प्रखण्ड 40% हंटरगंज 80% तथा प्रतापपुर कुन्दा, सिमरिया, पथलगडा, लावालौंग में प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक/गोदाम प्रबंधक के अवकाश में रहने के कारण उठाव की समीक्षा नहीं हो पाई । माह नवम्बर 2012 के लिए टण्डवा प्रखण्ड 44%, ईटखोरी 70%, गिद्धौर 90% का उठाव किया गया है । सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/गोदाम प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि पूर्व की भांति आवंटित माह का खाद्यान्न उसी माह के 25 वीं तारीख तक उठाव कराते हुए वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे । उठाव के कार्य में तेजी लाने के लिए रविवार/अवकाश के दिन भी उठाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक गोदाम प्रबंधक, चतरा जिला)।

2. समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त होते रहता है कि परिवहन अभिकर्ता द्वारा खाद्यान्न पहुँचाने के बदले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से परिवहन की राशि की वूसली की जाती है । इस संबंध में पूर्व में भी आपको तथ्यात्मक प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया है ताकि आवश्यक कार्रवाई किया जा सके । (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न उठाव सह वितरण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । मात्र टण्डवा के आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । शेष प्रखण्डों के आपूर्ति निरीक्षक द्वारा मंगलवार को अवकाश होने के कारण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने का कारण बताया गया जो उचित नहीं है । आगामी बैठक में निश्चित रूप से प्राप्त कराया गया प्रतिवेदन लाना सुनिश्चित करेंगे । (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

4. मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, टण्डवा को छोड़कर किसी भी प्रखण्ड से प्राप्त नहीं हुआ है, जो अत्यंत ही खेद का विषय है । कड़ी चेतावनी देते हुए निदेश दिया जाता है कि मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में ही लाना सुनिश्चित करें । (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

5. समीक्षात्मक बैठक में यह पाया गया कि ठेला भेण्डरों के द्वारा किरासन तेल वितरण के संबंध में जॉच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा ने अपने पत्रांक 265/गो0 दिनांक 24.11.12 के द्वारा प्राप्त हुआ कि कुल 12 ठेला भण्डरों के द्वारा निर्धारित दिवस को निर्धारित स्थान पर हीं वितरण किया जा

रहा था । यह भी बताया गया कि वार्ड नं0 14 एवं वार्ड नं0 16 में निर्धारित दिवस के दिन ठेला भण्डरों के द्वारा किरासन तेल का वितरण नहीं किया गया । इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी अपने पत्रांक 276/आ0 दिनांक 22.11.12 एवं 277/आ0 दिनांक 22.11.12 के द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की है । अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को निदेश दिया जाता है कि स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे (अनुपालन अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा)।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

उपायुक्त,
चतरा ।

ज्ञापांक 502/आ0 दिनांक 26.11.12

प्रतिलिपिः— सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि — अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि — सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक/सहायक गोदाम प्रबंधक, चतरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि — जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही की प्रति चतरा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे ।

26/11/12

उपायुक्त,
चतरा ।